①

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

जिला– सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम–श्री नवरत्न कोली, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
17 / 20	अपील	26.08.2020	15.02.2021

मोतीलाल पुत्र रतनलाल जाति गुर्जर निवासी महूकलॉ, तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर –अपीलाण्ट

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, गंगापुर सिटी
2. मुरारीलाल पुत्र रतनलाल जाति–गुर्जर निवासी–महूकलां तहसील–गंगापुर सिटी
3. सूरजमल पुत्र रतनलाल जाति–गुर्जर निवासी–महूकलां तहसील–गंगापुर सिटी
4. दिनेश पुत्र बृजमोहन जाति गुर्जर निवासी–महूकलां तहसील–गंगापुर सिटी
5. सोमे पुत्र बृजमोहन जाति गुर्जर निवासी–महूकलां तहसील–गंगापुर सिटी

– रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थित :–

1. श्री सतीश कुमार शर्मा, अपीलार्थी की ओर से

निर्णय **दिनांक 15.02.2021**

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा निर्णय नामान्तकरण संख्या 505 दिनांक 11.07.2016 ग्राम महूकलॉ तहसीलदार गंगापुर सिटी के विरूद्ध पेश की है।

2. प्रस्तुत अपील के मुताबिक प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उक्त नामान्तकरण निर्णय व डिक्री उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी उनवानी कमल बनाम जयनारायण वगैरहा निर्णय व डिक्री दिनांक 20.08.2020 की पालना में भरा व खोला गया जिसमें मृतक रतनलाल पुत्र भौरया के नाम गलत रूप से भरा व खोला गया क्योकि उक्त मृतक रतनलाल की विरासत का नामान्तकरण पूर्व में उनके वारिसान के नाम दर्ज हो चुका था जिनकी नामान्तकरण संख्या 415 व 416 थी। परन्तु रेवन्यु कर्मचारियों द्वारा न्यायालय एस.डी.ओ. गंगापुर सिटी की डिक्री की पालना में पूर्व मे खोले गये विरासत के नामान्तकरण को ध्यान में न रखते हुये मृतक के नाम नामान्तकरण तस्दीक करा दिया [illegible] वारिसान का नाम हजफ कर दिया जिससे अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट्स को [illegible] परेशानियों का सामना करना पड रहा है क्योकि अपीलार्थी को [illegible] पैसों की आवश्यकता [illegible] तो अपीलान्ट लोन (के.सी.सी.) हेतु बैंक गया तो [illegible]ने कहा पहले भूमि अपने नाम कराओ भूमि तुम्हारे पिताजी के नाम है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण भरते व तस्दीक करते समय न्यायिक उद्देश्यों की पूर्ण अवहेलना की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Navratan Koli
Date: 2021.07.08 11:31:09 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 को कोई नोटिस सूचना नही दी गई। निर्णय अपीलार्थी की गैरमौजूदगी में गलत रूप से पारित किया गया क्योकि मृतक रतनलाल की विरासत का नामान्करण पूर्व में नामान्करण संख्या 415 व 416 द्वारा खोला व तस्दीक किया जा चुका था जिससे पटवारी हल्का व अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी में यह तथ्य थे कि रतनलाल फौत हो चुका है। इसके बावजूद मृतक रतनलाल के नाम उक्त नामान्करण तस्दीक कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भारी भूल की है जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय व उसके अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारियों की जानकारी में यह तथ्य थे कि रतनलाल पुत्र भौरया फौत हो चुका है तथा नामान्तकरण संख्या 415 व 416 उसकी विरासत के नामान्तकरण के रूप में तस्दीक किये जा चुके है। इसलिये उसे न्यायालय एस.डी.ओ. गंगापुर सिटी की डिकी की पालना में उक्त तथ्यों के बारे में उपजिला कलेक्टर से मार्गदर्शन प्राप्त कर नामान्तकरण तस्दीक करना चाहिए था। परन्तु उसने ऐसा न करके तथा जानकारी मे होने के बाद भी मृतक व्यक्ति रतनलाल के नाम नामान्तकरण संख्या 505 तस्दीक करने में भी भारी भूल की है जो प्रारम्भ से शून्य व प्रभावहीन होने के कारण रतनलाल की विरासत की हद तक निरस्त होने योग्य है। उक्त विवादित नामान्तकरण के तस्दीक होने व उसका अमल रेवन्यु रिकार्ड में होने की अपीलार्थी को कभी कोई जानकारी नही रही। उक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय की अपीलार्थी को सर्वप्रथम जानकारी बैंक मैनेजर द्वारा के.सी.सी. हेतु जमाबन्दी की नकल देखने तथा उसमे अपीलान्ट के मृतक पिता का नाम दर्ज होने की जानकारी देने पर हुई जिस पर अपीलार्थी अपने वकील से मिले तो उन्होने कहा कि नामान्तकरण जिससे तुम्हारा नाम हटकर पिताजी का नाम दुबारा दर्ज हो गया है उसकी नकल लाओ जिस पर अपीलान्ट पटवारी हल्का से मिला तथा उससे उक्त विवादित नामान्तकरण संख्या 505 की नकल दिनांक 28.07.2020 को प्राप्त हुई उसे देखने पर वास्तविक तथ्यो की जानकारी होने पर यह अपील पेश करना आवश्यक हुआ।

3. अपील में अपीलार्थी ने निवेदन किया कि नामान्तकरण संख्या 505 दिनांक 11.07.2016 को मृतक रतनलाल पुत्र भौरया के ... निरस्त किया जाकर मृतक रतनलाल के स्थान पर उस... तस्दीक किये गये नामान्तकरण संख्या 415, 416 ... पुत्र भौरया की विरासत को दर्ज किया जावें। इसी अनुसार नये सिरे नामान्तकरण प्रस्तुत किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Navratan Koli
Date: 2021.07.08 11:31:09 IST
Reason: SelfAttested

4. दिनांक 26.08.2020 को रेस्पोडेण्ट संख्या 02 लगायत 05 ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

लगातार ... 3.

5. प्रकरण में अधिवक्ता अपीलार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील में अंकित्त तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि निर्णय व डिकी दिनांक 20.08.2008 की पालना में पारित निर्णय नामान्तकरण संख्या 505 दिनांक 11.07.2016 गलत रूप से भरा व खोला गया है। क्योंकि उक्त मृतक रतनलाल की विरासत का नामान्तकरण पूर्व में इनके वारिसान के नाम दर्ज हो चुका था। बाबजूद इसके डिकी की पालना में मृतक रतनलाल पुत्र भोरया के नाम नामान्तकरण तस्दीक किया गया जो कि गलत है। अतः नामान्तकरण संख्या 505 दिनांक 11.07.2016 को पारित निर्णय मृतक रतनलाल पूत्र भोरया की हद तक निरस्त किया जावें।

5. हमने अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन भी किया गया।

6. यह स्पष्ट है कि डिकी दिनांक 20.08.2008 की पालना में नामान्तकरण संख्या 505 दिनांक 11.07.2016 को निर्णित किया गया। जबकि इससे पूर्व खातेदार रतनलाल के फौत होने से विरासत का नामान्तकरण संख्या 415 दिनांक 20.03.2012 को तस्दीक किया गया था। हक त्याग के पत्र के मुताबिक हक त्याग का नामान्तकरण संख्या 416 दिनांक 20.03.2012 को तस्दीक किया जा चुका था। हम अपीलार्थी के इस कथन से सहमत है कि मृतक व्यक्ति के नाम नामान्तकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता है।

आदेश

अतः हम अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते है। नामान्तकरण संख्या 505 दिनांक 11.07.2016 को मृतक रतनलाल पुत्र भोरया के हिस्से तक निरस्त किया जाकर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वह न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा पारित निर्णय व डिकी तथा रतनलाल पुत्र भोरया की मृत्यु के तथ्य की जांच कर रतनलाल पुत्र भोरया के हिस्से के नामान्तकरण को [illegible]मानुसार पुनः तस्दीक करे।

निर्णय सरे इजलास दिनांक [illegible] को सुनाया गया।

(नवरत्न कोली)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Navratan Koli
Date: 2021.07.08 11:31:09 IST
Reason: SelfAttested